देवेन्द्र सिंह चौहान
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0-21/2022
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: जुलाई 23, 2022

विषय– प्रदेश के 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में संचालित साइबर थानों के कियान्वयन के संबंध में डीजी परिपत्र संख्या–12/2020 दिनांक 21.03.2020 में आंशिक संशोधन।

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन, गृह पुलिस अनुभाग–6 की अधिसूचना सं0: 25/2020/32पी/6–पु–6–2020–300(13)/2014 दिनांक 06.02.2020 द्वारा सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन 2000) के अधीन अपराधों के पंजीकरण एवं अन्वेषण के सम्बंध में पुलिस महानिरीक्षक, साइबर काइम, उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन प्रदेश में 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों कमशः मिर्जापुर, देवीपाटन, गोण्डा, आजमगढ, सहारनपुर, अलीगढ, कानपुर, चित्रकूट धाम, आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली, बस्ती एवं गोरखपुर में साइबर काइम पुलिस थाना स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रदेश में पूर्व से लखनऊ एवं गौतमबुद्वनगर में साइबर काइम पुलिस थाना स्थापित है। इस प्रकार प्रदेश के समस्त 18 परिक्षेत्रों में एक–एक साइबर अपराध थाना स्थापित करते हुए उनका अधिकार क्षेत्र भी उपरोक्त अंकित अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया है।

2. समस्त 18 परिक्षेत्रीय साइबर अपराध थानों की स्थापना एवं उन्हे संचालित किये जाने हेतु पूर्व निर्धारित एस0ओ0पी0 (डीजी परिपत्र संख्या–12/2020 दिनांक 21.03.2020) में आंशिक संशोधन निम्नवत किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य दिशा–निर्देश पूर्ववत रहेंगें।

- आई0टी0एक्ट की ऐसी विवेचनायें जिनमें धोखाधडी की धनराशि रूपया 05 लाख या उससे अधिक हों वह विवेचनायें साइबर काइम थाना में पंजीकृत अथवा स्थानान्तरित की जायेगीं।
- आई0टी0एक्ट की विवेचनाओं को साइबर काइम थानों में स्थानान्तरण हेतु जनपदों द्वारा सीधे साइबर काइम मुख्यालय प्रेषित न करते हुए परिक्षेत्र/जोन स्तर के माध्यम से साइबर काइम मुख्यालय प्रेषित किया जाये, जिनको पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त ही साइबर काइम थानों में स्थानान्तरित किया जायेगा। यह भी निर्देशित किया जाता है कि विवेचना स्थानान्तरण होने के आदेश के पश्चात ही मूल केसडायरी प्रेषित की जायेगी।

मुझे विश्वास है कि उपरोक्त निर्देशो का पालन करने से, बढते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अपेक्षित सफलता मिलेगी।

भवदीय

23/7/22

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स, उ0प्र0 (नाम से)
समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0 (नाम से)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0।
2. समस्त जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।